

To


The Director
Information, Public Relation and Language Department
SCO-23, Sec-7, Chandigarh

Memo no.:- 7834 JD(AE)/Dated: 19-01-2021

Subject: - Advertisement regarding implementation of "Sub-Mission on Agricultural Mechanization" SMAM during 2020-21

On the subject cited above it is to inform you that as per decision of the State Govt. application from farmers in providing subsidy on purchase of agricultural machinery/ implement is being invited on Departmental portal agriharyanacrm.com till 31.01.2021. To aware the farmers about the scheme it is requested that enclosed advertisement (draft) be published in leading Hindi/English newspaper starting from **20.01.2021** in the State.

Encl: - As Above.


Joint Director (AE)
for: Director General
Agriculture & Farmers Welfare Deptt.
Haryana, Panchkula

CC:

JD (Stat)

PA to DGA&FW

किसानों को वर्ष 2020-21 में कृषि यन्त्र अनुदान पर देने बारे
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
आवश्यक सूचना

हरियाणा प्रदेश के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान स्मैम स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि यन्त्र जैसे स्ट्रा बेलर, हे रेक, शूबमास्टर/स्लेशर, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, ट्रैक्टर चलित पावर वीडर, ट्रैक्टर चलित रीपर बाईन्डर, पैडी ट्रान्सप्लान्टर, लेजर लैण्ड लैवलर, स्ट्रा रीपर, ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर, स्वचालित रीपर बाईन्डर, मल्टीक्रोप प्लांटर/ मेज प्लांटर/ डी0 एस0 आर0, न्युमैटिक प्लांटर, कपास बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चलित बूम स्प्रेयर पर अनुदान हेतू ऑनलाइन आवेदन www.agriharyanacrm.com पर आमंत्रित किए जा रहे हैं। एक किसान लाभार्थी अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यन्त्र (प्रत्येक 1) के लिए आवेदन कर सकता है। लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों में इन कृषि यन्त्रों पर अनुदान लिया है वे किसान इस स्कीम में उसी यन्त्र पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इन उपकरणों की खरीद www.agriharyanacrm.com पर सूचिबद्ध कृषि यन्त्र निर्माताओं से जिनकी मशीन भारत सरकार से अनुमोदित टैस्टिंग सस्थान से पास है, करनी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 2.5 लाख रू0 से कम की कीमत के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करने पर 2500 तथा 2.5 लाख रू0 से अधिक की कीमत के कृषि यंत्रों के लिए 5000 रू0 का आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा जो चयन उपरांत वापिस कर दिया जायेगा। **कृषि यंत्र निर्माता इस स्कीम में मशीन सप्लाय करने हेतू यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट, अन्डरटेकिंग तथा बैंक गारंटी 29-01-2021 तक निदेशालय में जमा करवानी होगी।**

किसान भाई विभागीय वैबसाईट www.agriharyanacrm.com पर ऑनलाईन फार्म दिनांक 20 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित उप-कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय से अथवा टोल फ्री नम्बर 18001802117/ 0172-2521900 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते: महानिदेशक कृषि
हरियाणा पंचकुला